न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, दीगोद

उनवान संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
25/17	22.05.2017	02.01.2019

पीठासीन अधिकारी – कैलाश चन्द शर्मा (**R.A.S.**)

उनवान

1. हंसराज पुत्र छीतरलाल जाति मेघवाल
2. मुकेश पुत्र छीतरलाल जाति मेघवाल
3. शीला बाई पुत्री छीतरलाल जाति मेघवाल
4. रामकन्या बाई पत्नी छीतरलाल जाति मेघवाल निवासीगण पडासलिया तहसील दीगोद जिला कोटा

–प्रार्थीगण –

बनाम

1. धनराज पुत्र छीतरलाल जाति मेघवाल निवासी पडासलिया तहसील दीगोद हाल अभेडा रोड, गुरूद्वारे के पास, नान्ता कोटा
2. मनोज पुत्र रामस्वरूप जाति मेघवाल निवासी काला तालाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा
3. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

–प्रतिपक्षीगण–

उपस्थित अभिभाषक–

1. श्री हरिशंकर मेघवाल :– प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री गिरिराज मीणा :– प्रतिपक्षी नं0 1 की ओर से
3. श्री रघुवीर वैष्णव :– प्रतिपक्षी नं0 2 की ओर से

वाद अन्तर्गत घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

–:: आदेश ::–

प्रार्थीगण द्वारा जरिये विद्वान अभिभाषक एक प्रार्थना पत्र धारा 212 आर0टी0एक्ट इस न्यायालय में इस कथन के साथ प्रस्तुत किया कि ग्राम पडासलिया तहसील दीगोद में ख0नं0 128 रकबा 1.41 हे0, ख0नं0 376 रकबा 0.05 हे0, ख0नं0 380 रकबा 0.11 हे0, ख0नं0 383 रकबा 0.04 हे0, ख0नं0 445 रकबा 0.48 हे0 कुल किता 5 रकबा 2.09 हे0 भूमि स्थित चली आ रही है तथा उक्त भूमि पूर्व में प्रार्थीगण के पिता व पति छीतरलाल के खातें में दर्ज थी। प्रार्थीगण नं0 1 ता 3 व प्रतिपक्षी नं0 1 के पिता व प्रार्थी नं0 4 के पति छीतरलाल का स्वर्गवास हो गया और उनके देहावसान बाद

Scanned by CamScanner

उपरोक्त भूमि छीतरलाल के वारिसान प्रार्थीगण व प्रतिपक्षी नं0 1 के शामाली खातें में दर्ज की गई। जिसमें प्रत्येक का 1/5 हिस्सा दर्ज है। प्रार्थीगण नं0 1 ता 3 व प्रतिपक्षी नं0 1 के पिता व प्रार्थी नं0 4 के पति छीतरलाल आरएसईबी में कार्यरत थे जिनका देहावसान सेंवा के दौरान दिनांक 25.03.2015 को हो गया और उनके देहावसान के पश्चात् प्रार्थीगण व प्रतिपक्षी नं0 1 के मध्य पारिवारिक आपसी सहमति हुई कि प्रतिपक्षी नं0 1 अपनें पिता छीतरलाल की वाके ग्राम पडासलिया की उपरोक्त कृषि भूमि में प्रतिपक्षी नं0 1 का कोई हिस्सा नहीं रहेगा व प्रतिपक्षी नं0 1 प्रार्थी नं0 1 व 2 के पक्ष में अपना हक छोडता है तथा मकान में से भी केवल एक ही कमरा प्राप्त करेगा व पिता की पेशन, जमा शुदा राशिया व अन्य राशियों में भी उसका कोई हक व अधिकार नहीं रहेगा। इसके बदले प्रतिपक्षी नं0 1 अनुकम्पात्मक नियुक्त प्राप्त करनें का अधिकारी होगा। उक्त पारिवारिक समझोते के बाबत् स्वयं प्रतिपक्षी नं0 1 ने दिनांक 06.04.2016 को एक इकरार नामा भी आलेखित कर दिया व सहमति इकरार नामा के बाद प्रतिवादी नं0 1 ने आरएसईबी में नियुक्ति प्राप्त कर ली गई व भूमि का कब्जा वादीगण को संभला दिया। इस प्रकार उपरोक्त कृषि भूमि में प्रतिपक्षी नं0 1 का कोई हक व अधिकार शेष नहीं रहा तथा समस्त भूमि पर प्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। किन्तु प्रतिपक्षी नं0 1 ने अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्राप्त करनें के पश्चात् प्रतिपक्षी नं0 के मन में बदनियती आ गयी और प्रतिपक्षी नं0 1 ने अपनें नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होनें का नाजायज फायदा उठाकर 1/5 हिस्से की भूमि को प्रतिपक्षी नं0 2 को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 13.05.2016 से बैचान कर दी। जबकि प्रतिपक्षी नं0 1 का उक्त भूमि में किसी प्रकार का हिस्सा व हक व अधिकार व कब्जा शेष नहीं था और उसको किसी प्रकार से भूमि को बैचान करनें का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। इस कारण उसके द्वारा किया गया बैचान सर्वथा अवैध व प्रार्थीगण के हितो के विरूद्ध प्रभावहीन है तथा उक्त अवैध बैचान से प्रतिपक्षी नं0 2 को भी किसी प्रकार के कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। उपरोक्त पारिवारिक समझोते व प्रतिपक्षी नं0 1 द्वारा आलेखित इकरार नामा के आधार पर प्रार्थीगण प्रतिपक्षी नं0 1 व 2 का नाम हटानें के अधिकारी है व सम्पूर्ण भूमि के प्रार्थीगण खातेदार घोषित होनें के अधिकारी है। उक्त समस्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा प्रतिपक्षीगण का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। प्रतिपक्षी नं0 2 दिनांक 16.04.2017 को वादग्रस्त भूमि पर आया और प्रार्थीगण को काश्त न करनें देनें व 1/5 हिस्से की भूमि से बैदखल करनें की धमकी दी। जबकि प्रतिपक्षीगण को उक्त कृत्य करनें का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यदि प्रतिपक्षीगण ने उक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि से प्रार्थीगण को बैदखल कर दिया गया व प्रतिपक्षीगण नं0 1 व 2 का नाम नहीं हटाया गया और प्रार्थीगण को सम्पूर्ण भूमि का खातेदार घोषित नहीं किया गया तो प्रार्थीगण को अपार क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी प्रकार नहीं हो सकेगी व दावा पेश करना ही बैकार हो जावेगा। प्रार्थीगण का केस प्राईमा फेसाई केस है तथा सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रबल है तथा अपरिमित क्षति होनें की पूर्ण संभावना है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण ने निवेदन किया है कि ताफैसला दावा प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध एक अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय है कि प्रसारित की

Scanned by CamScanner

जावे कि प्रतिपक्षीगण ग्राम पडासलिया तहसील दीगोद जिला कोटा की ख0नं0 128 रकबा 1.41 हे0, ख0नं0 376 रकबा 0.05 हे0, ख0नं0 380 रकबा 0.11 हे0, ख0नं0 383 रकबा 0.04 हे0, ख0नं0 445 रकबा 0.48 हे0 कुल किता 5 रकबा 2.09 हे0 भूमि से प्रार्थीगण को बैदखल नहीं करें व कब्जें काश्त में व्यवधान पैदा नहीं करें व बैचान नही करें। उक्त कृत्य न तो स्वयं करें और न ही अपनें एजेन्ट से ही करवाये तथा मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिपक्षी नं0 1 व 2 की ओर से जरिये विद्वान वकील जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रतिपक्षी नम्बर 1 व 2 द्वारा अपने जवाब में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्यों को अस्वीकार कर, प्रार्थना पत्र खारिज़ किये जाने का निवेदन किया तथा विशेष आपत्तियों में कथन किये कि प्रार्थीगण ने वाद व प्रार्थना पत्र सर्वथा असत्य, गलत व निराधार तथ्यों के आधार पर पेश किया है, जो खारिज होनें योग्य है। प्रार्थीगण को वाद पेश करनें का कोई वाद कारण पैदा नहीं हुआ है इस कारण प्रार्थीगण का वाद व प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज होनें योग्य है। प्रार्थीगण को वाद प्रस्तुत करनें से पूर्व प्रतिपक्षी नं0 3 को धारा 80 जा0 दी0 का नोटिस दिया जाना चाहिए था जो नहीं दिया गया है। बिना नोटिस दिये वाद व प्रार्थना पत्र चलनें योग्य नही है। इस कारण भी प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज होनें योग्य है। प्रतिपक्षी नं0 1 के पिता छीतरलाल ने अपनें जीवन काल में अपनें खातें की ख0नं0 445 की 0.48 हे0 भूमि वाके ग्राम पडासल्या को प्रतिपक्षी नं0 2 को बैचान करनें का इकरार दिनांक 13.11.2014 को किया था उक्त छीतरलाल के इकरार नामें की पालना में सभी वारिसान की सहमति से प्रतिपक्षी नं0 1 ने 1/5 हिस्से की 0.4180 एयर भूमि की रजिस्ट्री प्रतिपक्षी नं0 2 के नाम करवा दी। जिस पर दिनांक 13.11.2014 से लगातार निरन्तर प्रतिपक्षी नं0 2 का प्रार्थीगण की जानकारी में बहैसियत खरीदार व खातेदार के चला आ रहा है। उक्त बैचान विधि सम्मत् रूप से किया गया है। उक्त बैचान किसी भी प्रकार से अवैध अवैधानिक व प्रभावहीन नहीं है। प्रार्थीगण को उक्त बैचान की प्रारम्भ से ही जानकारी है। उक्त बैचान के आधार पर उक्त भूमि पर नामा0 नं0 765 दिनांक 20.10.2016 से प्रतिपक्षी नं0 2 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। एक खातेदार को दूसरे सहखातेदार के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा पारित नहीं की जा सकती है। इस कारण प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज होनें योग्य है। उक्त विक्रय पत्र नियमानुसार व इकरार नामें की पालना में सभी की सहमति से कराया गया है जो विधि सम्मत है प्रार्थीगण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को सिविल न्यायालय से निरस्त कराये बिना किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करनें के अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण ने प्रतिपक्षीगण को परेशान करनें की नियत से यह वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज होनें योग्य है। प्रार्थीगण का केस प्राईमा फेसाई केस नहीं है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है तथा अपरिमित क्षति होनें की कोई सम्भावना नहीं है।

जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रतिपक्षी नं0 1 व 2 ने निवेदन किया है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा सव्यय खारिज फरमाया जावें।

Scanned by CamScanner

दस्तावेंजी साक्ष्य में प्रार्थी की ओर से निम्न दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये –

1. छायाप्रति प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम पडासल्या सं0 2073–76 खाता नं0 87
2. छायाप्रति इकरार नामा दिनांक 06.04.2016

हमने प्रार्थीगण तथा प्रतिपक्षीगण को अपने–अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने के पर्याप्त एवं युक्ति–युक्त अवसर दिये तथा बाद साक्ष्य प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में तीन बिन्दु प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति पर वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अधिकांशतः प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराया तथा विद्वान अधिवक्ता प्रतिपक्षी नं0 1 व 2 ने अपनें–अपनें जवाब के कथनों को दौहराया।

दौराने बहस हमने विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया। बाद बहस पत्रावली का आधोपान्त गहन मनन अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं अन्य साक्ष्यादि पर विधिक विचार किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में वर्णित प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थना पत्र तथा प्रार्थना पत्र की विषयवस्तु का अध्ययन करनें पर यह पाया कि कि हस्व जमावन्दी ग्राम पडासल्या तहसील दीगोद सम्वत् 2073–76 खाता नम्बर 87 पर स्थित भूमि ख0नं0 128 रकबा 1.41 हे0, ख0नं0 376 रकबा 0.05 हे0, ख0नं0 380 रकबा 0.11 हे0, ख0नं0 383 रकबा 0.04 हे0, ख0नं0 445 रकबा 0.48 हे0 कुल किता 5 रकबा 2.09 हे0 भूमि के प्रार्थीगण एवं प्रतिपक्षी नं0 1 अभिलिखित खातेदार है। प्रतिपक्षी नं0 1 धनराज पुत्र छीतरलाल विवादित आराजी में निहित अपनें हिस्सा का जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से प्रतिपक्षी नं0 2 मनोज कुमार पुत्र रामस्वरूप को बैचान कर चुका है, जिसका अंकन राजस्व जमाबंदी सं0 2073–76 वाके ग्राम पडासल्या खाता सं0 87 में नामान्तकरण सं0 765 दिनांक 20.10.2016 से हो रहा है। प्रार्थीगण एवं प्रतिपक्षी नं0 1 के मध्य आपस में क्या इकरार हुआ, इसका प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध प्रकट नहीं होता है और न ही उक्त इकरार नामा के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई टिप्पणी किया जाना उचित नहीं पाते है। वर्तमान में विवादित आराजी प्रार्थीगण व प्रतिपक्षी नं0 2 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज चली आ रही है तथा प्रतिपक्षी नं0 1 के स्वत्वों का अवसान रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से हो चुका है तथा वर्तमान में प्रतिपक्षी नं0 1 के कोई स्वत्व विवादित आराजी में प्रकट नहीं होत है। अतः प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या प्रकरण मात्र प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं पाया जाता है।

विवादित भूमि ख0नं0 128 रकबा 1.41 हे0, ख0नं0 376 रकबा 0.05 हे0, ख0नं0 380 रकबा 0.11 हे0, ख0नं0 383 रकबा 0.04 हे0, ख0नं0 445 रकबा 0.48 हे0 कुल किता 5 रकबा 2.09 हे0 भूमि वाके ग्राम पडासल्या पर भौतिक रूप से काबिज होनें के सम्बन्ध में प्रार्थीगण एवं प्रतिपक्षी नं0 2 ने अपना–अपना दावा प्रकट किया है, किन्तु कब्जें के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह माना जावें कि विवादित सम्पूर्ण आराजी पर अमुक का कब्जा है। विवादित आराजी पर भौतिक रूप से कौन काबिज है, इस सम्बन्ध में सहखातेदारी अविभाजित भूमि पर प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच पर

Scanned by CamScanner

कब्जा होनें की अवधारणा है। वादग्रस्त भूमि चूँकि प्रार्थीगण/प्रतिपक्षी नं0 2 के सेपरेट खाते में दर्ज नहीं है, इस कारण सभी सहखातेदारान् का कब्जा मानने की अवधारणा है। सामान्यतः अभिलिखित सहखातेदार न तो बतौर सहखातेदारी में दर्ज भूमि पर अतिकमी होता है और न ही उक्त भूमि पर मात्र अकेले कब्जे का हकदार। जिससे सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होकर प्रतिपक्षी नं0 2 के पक्ष में प्रबल है।

चूंकि प्रकरणाधीन भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि पर, जिस सम्बन्ध में आर0आर0डी0 1976 पेज नं0 199 श्रीमती चैनी बनाम रामकिसन में यह अवधारित किया गया है कि "संयुक्त धारण की भूमि पर प्रसारित अस्थायी निषेधाज्ञा प्रभाव शून्य है।"

आर0आर0डी0 1988 पेज नं0 316 श्रीमती धूली बनाम मांगी में प्रतिपादित किया गया है कि "साधारणतया एक सहकाश्तकार दूसरे सहकाश्तकार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त नहीं कर सकता।"

प्रार्थीगण न तो विवादित भूमि के एकमात्र अभिलिखित खातेदार है और न ही उसका सम्पूर्ण भूमि पर या किसी विशिष्ट ख0न0 पर कब्जा प्रमाणित है। अभिलिखित सहखातेदार के खिलाफ अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना विधि संगत भी नहीं है।

प्रार्थीगण एवं प्रतिपक्षी नं0 2 प्रकरणाधीन भूमि के सम्बन्ध में सहखातेदार प्रमाणित है तथा प्रार्थीगण का विवादित सम्पूर्ण आराजी पर कब्जा प्रमाणित नहीं है। ऐसी स्थिति में अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण को होना सम्भाव्य नही है।

प्रार्थीगण को या प्रतिपक्षी नं0 1 व 2 को विवादित आराजी पर या उसके हिस्से पर क्या हक अख्त्यार है या होने चाहिये इसका विनिश्चय मूलवाद पर सम्यक साक्ष्योपरान्त तथा सम्यक विचारण उपरान्त विधि अनुसार मेंरिट पर होना है न कि प्रार्थीगण के इस प्रार्थना पत्र के आधार पर। प्रकरण की परिस्थितियों के मध्यनज़र प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज़ किया जाता हैं।

पत्रावली वाद तामील तकमील नम्बर से कम की जावे तथा निर्णीत में गणना की जाकर मूलवाद मिसल नम्बर 47/17 के साथ संलग्न रहे ।

आदेश आज दिनॉक 02/01/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

Scanned by CamScanner